



United Residents Joint Action of Delhi

## भीड़ घटाने और आवाजाही सुगम करने हेतु पार्किंग नीति पर आर.डब्ल्यू.ए और लोगों के साथ कार्य

GNCTD के परिवहन विभाग ने दिल्ली शहर के लिए पार्किंग नीति को अंतिम रूप दे दिया है। इस नीति के मुताबिक शहर में पार्किंग सीमित, नियंत्रित और शुल्क युक्त होनी चाहिए तथा ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग के मुकाबले ऑन-स्ट्रीट पार्किंग काफी ज्यादा होनी चाहिए। इस नीति के तहत रिहाइशी इलाकों में भी पार्किंग पर शुल्क वसूला जाना चाहिए।

इस नीति को अमल में लाने के लिए हर एक वार्ड या जोन को स्थानीय स्तर पर अमलकारी योजनाएं बनानी होंगी। इन योजनाओं में उस क्षेत्र में मौजूद पेड़-पार्किंग लॉट की लोकेशन व अन्य ब्यौरे को परिभाषित किया जाएगा।

इस नीति का व्यापक उद्देश्य यह है की गलियों में-सड़कों पर सभी किस्म के वाहन और पैदल चलने वाले सुविधापूर्वक आवाजाही कर सकें। इस उद्देश्य बेतरतीब और गैर कानूनी पार्किंग पर लगाम कसना है (फुटपाथ को, पार्क किए गए वाहनों के अतिक्रमण से भी बचाना है); इससे शहर में भीड़-भाड़, दुर्घटनाएं और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

शहर के नागरिकों की असुविधा दिए बगैर या उन पर अनावश्यक जुर्माना लगार बिना इस नीति के जरिए व्यापक लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय क्षेत्र योजना (निवासियों एवं अमलकारी प्राधिकरणों के बीच) पर आम सहमति आवश्यक है।

इसका उद्देश्य आर.डब्ल्यू.ए. को प्रोत्साहित करना है कि वे इन योजनाओं की व्यापक रूपरेखा तैयार करना शुरू करें जो उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं पर आधारित हो। योजना के पहले मसौदे का उपयोग अमलकारी एजेंसियों, पार्षदों और विधायकों के साथ चर्चा आरंभ करने में किया जा सकता है।

इस हेतु आर.डब्ल्यू.ए. को निम्न पद्धति अपनाने की सलाह दी जाती है:

- पहला कदम: आर.डब्ल्यू.ए. कार्यकारी निकाय गूगल मैप पर अपने क्षेत्र की सड़कों, स्थानों व जरूरतों को चिन्हित करता हुआ एक बड़ा प्रिंट लें (संलग्न सूची के अनुसार)
- दूसरा कदम: आर.डब्ल्यू.ए. कार्यकारी निकाय संलग्न फॉर्म को सभी घरों में पहुंचाए और इस अध्ययन के लिए जरूरी आंकड़े एकत्रित करें
- तीसरा कदम: आर.डब्ल्यू.ए. कार्यकारी निकाय दिए गए फॉरमेट के मुताबिक सारे आंकड़ों का संकलन करे
- चौथा कदम: आर.डब्ल्यू.ए. कार्यकारी निकाय संकलित आंकड़ों और नक्शे को दिए गए फॉरमेट के मुताबिक साझा करे, जिसमें सभी परिवारों और पतों का ब्यौरा हो और उनसे संबंधित सवाल भी दर्ज हों
- पांचवा कदम: आर.डब्ल्यू.ए. कार्यकारी निकाय संकलित आंकड़ों व नक्शे को ऊर्जा टीम के साथ साझा करे
- छठा कदम: ऊर्जा सभी आर.डब्ल्यू.ए. के लिए वार्ड स्तरीय बैठक आयोजित करेगी जिसमें पार्षद (और आवश्यक हुआ तो विधायक भी) शामिल होंगे। इस बैठक में संकलित आंकड़ों पर चर्चा होगी ताकि अमलकारी कदमों को औपचारिक रूप प्रदान किया जा सके और आगे की राह तय की जाए।

## आर.डब्ल्यू.ए. कार्यकारी समिति हेतु कार्य

1. आर.डब्ल्यू.ए. के तहत आने वाली कॉलोनी/पॉकेट/इलाके के नक्शे (गूगल मैप पर ए3 या ए2 आकार का प्रिंट हो तो बेहतर है) में आर.डब्ल्यू.ए. का भीतरी व बाहरी दायरा विभिन्न रंगों से चिन्हित हो। प्रत्येक की पहचान में मदद के लिए कृपया एक लेजेंड दीजिए।

- a. निम्न चौड़ाई वाली सड़कें (अलग से चिन्हित), जैसे: सड़क के विपरीत ओर इमारतों की पंक्तियों के बीच अंतर:
  - i.  $\geq 45$  मीटर (150 फीट)
  - ii.  $\geq 30$  मीटर लेकिन 45 मीटर से कम (100 से 150 फीट)
  - iii.  $\geq 24$  मीटर लेकिन 30 मीटर से कम (80 से 100 फीट)
  - iv.  $\geq 15$  मीटर लेकिन 24 मीटर से कम (50 से 80 फीट)
  - v.  $\geq 9$  मीटर लेकिन 15 मीटर से कम (30 से 50 फीट)
  - vi.  $< 9$  मीटर (30 फीट से कम)
  - vii. सर्विस लेन
- b. सड़कों पर हर एक कलर कोडेड गलियों की औसत लगभग चौड़ाई यूनिट (फीट या मीटर) के साथ लिखें
- c. नक्शे पर प्रत्येक गली का नाम/नंबर/ या अन्य पहचान प्रदान करें
- d. बाजार, कारोबारी इलाकों, संस्थानिक इलाकों, मनबहलाव की जगहों या अन्य ऐसी जगहों की पहचान व निशानी करें जहां बड़ी तादाद में वाहनों का आमदरपत होती है और पार्किंग की बहुत जरूरत है।
- e. खाली सरकारी भूखंडों (उनके अलावा जो प्लॉट के लिए इस्तेमाल किए गए हैं या आरक्षित हैं) या आर डब्ल्यू ए के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले बड़े बिल्डिंग सैटबैक की निशानी व पहचान करें जिन्हें पार्किंग के तौर पर विकसित किया जा सके। कृपया अनुमानित आयामों और/या क्षेत्र उपयुक्त यूनिट के साथ उल्लेख करें।
- f. महत्वपूर्ण केन्द्रों को चिन्हित करें जैसे बस टर्मिनल, मेट्रो स्टेशन आदि जो आर डब्ल्यू ए के प्रभाव क्षेत्र या परिधि में आते हों।
- g. सभी गेटों को चिन्हित करें, खुलने व बंद होने के समय के साथ। यह भी चिन्हित करें की गेटों पर कोई पहरेदार रहता है या नहीं और वे पैदल चलने वालों व साइकिल सवारों को गुजरने की अनुमति देते हैं अथवा नहीं।

2. रास्ते के 100 से 300 मीटर फासले पर दोपहियों व कारों या अन्य वाहनों की लगभग संख्या की गिनती करके उल्लेख करें। यह गिनती शाम 7:30 बजे से रात 9:30 बजे के बीच की जाए। उदाहरण के लिए, गली नंबर 3 पर देखे व दर्ज किए गए वाहनों का ब्यौरा— 100 कार, 120 दोपहिये, 10 ऑटो रिक्शा व 3 ट्रक। इस अध्ययन में सभी भीतरी सड़कों को शामिल करें।

3. हर गली नंबर के लिए अस्थायी हॉकरों की गिनती कर के संख्या का उल्लेख करें।



**United Residents Joint Action of Delhi**

4. कृपया हर गली नंबर में अतिक्रमणों की पहचान कर के उन्हें दर्ज करें (क्योंकि इससे पार्किंग की जगह सीमित हो जाती है)। इन अतिक्रमणों में बाउंड्री बढ़ाना, गार्ड रूम बनाना, पौधे लगाना आदि शामिल हैं।

5. सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ वाली गलियों के फोटोग्राफ खींच कर, गलियों के नाम के साथ उन्हें सेव कर लें।

6. निवासियों/दुकानदारों द्वारा भरे गए फॉर्म से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण। यह विश्लेषण औसत, न्यूनतम, अधिकतम के लिहाज से किया जाए। जहां दिए गए औसत की रेंज प्रत्येक रेंज के औसत मूल्य से ली जाए। उदाहरण के लिए 0-10 तथा 10-20 का औसत 5 व 15 = 10 के औसत के तौर पर लिया जाए।

इस प्रकार, पार्किंग शुल्क कितना हो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हर परिवहन माध्यम (कार, दोपहिया, अन्य) का सालाना औसत लिया जाए और उसे हर गली नंबर को दिया जाए।

इसी प्रकार, अन्य सवालों के जवाब हेतु विश्लेषण से प्राप्त संख्या गली नंबर के हिसाब से प्रदान की जाए।

## प्रत्येक परिवार या परिवार में प्रत्येक वाहन स्वामी व्यस्क द्वारा यह फॉर्म भरा जाए

- नाम:
- प्रॉपर्टी का प्रकार (कोई एक चुनें) – रिहाइशी / कमर्शियल
- पता (जहां जरूरी हो वहां फ्लोर भी बताएं):
- प्लॉट या फ्लैट/दुकान का क्षेत्रफल ..... यूनिट (वर्ग फीट/वर्ग मीटर/वर्ग गज)
- परिवार के कुल सदस्य (या कर्मचारी)
- आपके परिवार में कुल सदस्य:
- वाहनों की संख्या (जो परिवार के सदस्यों/कर्मचारियों के हों, या वे उन्हें चलाते हों): a) कार..... b) दोपहिया ..... c) अन्य (क्या वाहन है).....
- मकान/दुकान/दफ्तर में कितने वाहनों की पार्किंग के लिए जगह है (कमर्शियल प्रॉपर्टी के मामले में खरीदा हुआ या आवंटित पार्किंग स्पेस): a) कार..... b) दोपहिया ..... c) अन्य (क्या वाहन है).....

अपेक्षा है की पार्किंग नीति पर अमल किया जाएगा आपके आर डब्ल्यू ए में सारी सार्वजनिक जमीन (आपके घर के बाहर वाली गली समेत) पर होने वाली पार्किंग पर निकट भविष्य में शुल्क लिया जाएगा। इस नीति के निहितार्थों पर आपकी क्या राय है इस बारे में निम्न प्रश्नों के उत्तर दें:

- क्या आप चाहते हैं कि पार्किंग नियम आपके प्लॉट/जमीन/बिल्डिंग के बाहर या करीब आपके वाहन के लिए संरक्षित स्थान सुनिश्चित करें? हां/नहीं
- जितने वाहनों के आप मालिक हैं या ऑपरेट करते हैं (या भविष्य में खरीदने की योजना बना रहे हैं) उनके लिए आप पार्किंग रिजर्व करना चाहते हैं?
  - आपके प्लॉट/जमीन/बिल्डिंग के बाहर: a) कार..... b) दोपहिया ..... c) अन्य (क्या वाहन है).....
  - आपके प्लॉट/जमीन/बिल्डिंग से फासले पर: a) कार..... b) दोपहिया ..... c) अन्य (क्या वाहन है).....
- पार्क किए गए वाहन तक पहुंचने के लिए आप अधिकतम कितना चलने के इच्छुक हैं (कुछ दूरी पर मौजूद पार्किंग स्थलों के लिए, संभवतः मल्टी-लैवल पार्किंग); कोई एक चुनिए:
  - 100 मीटर से कम
  - 100 मीटर से 300 मीटर
  - 300 मीटर से 600 मीटर
  - 600 मीटर से अधिक
- ऊर्जा इस बात के लिए प्रयास करेगी की पार्किंग से अर्जित रेवेन्यू का कम से कम एक हिस्सा आर डब्ल्यू ए के प्रभाव क्षेत्र में लगाया जाए। कृपया 1 से 6 तक की संख्या में प्राथमिकता दें की इस पैसे का उपयोग करते हुए आप अपने क्षेत्र में क्या सुधार देखना चाहते हैं:
  - गलियों से जल निकासी और प्रकाश व्यवस्था में सुधार व रखरखाव
  - सुरक्षा हेतु सुधार व रखरखाव (जिसमें कैमरा व गार्ड शामिल हैं)
  - फुटपाथ, बेंच, सौंदर्यीकरण व पौधारोपण के लिए सुधार व रखरखाव
  - कैरिजवे/सड़कों (स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड आदि समेत) का सुधार व रखरखाव
  - क्लब, सामुदायिक हॉल आदि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और रखरखाव
  - पार्को-बगीचों का विकास, सुधार व रखरखाव

• चूंकि सार्वजनिक पार्किंग स्पेस (गलियों समेत) सीमित होगा और बोली लगवाने की जरूरत पड़ सकती है या मांग पर काबू करने के लिए मूल्य बढ़ाना होगा। ऐसी स्थिति में, लंबे समय तक के लिए, आप अपने वाहन पार्क करने के लिए अधिकतम कितना भुगतान कर सकते हैं?  
(आरक्षित, अनारक्षित, एकदम पास या कुछ फासले पर)







United Residents Joint Action of Delhi

- अनारक्षित, फासले पर— संभवतः मल्टी लैवल पार्किंग में (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 चुनें – क्योंकि शुल्क सालाना बदलता है) सुबह 8:30 से शाम 7:30 बजे तक (दिन के वक्त)

प्रति घंटा शुल्क भुगतान	कार			दोपहिया			अन्य (कौन सा वाहन)		
	2018	2020	2022	2018	2020	2022	2018	2020	2022
< Rs. 15									
Rs. 15 to 40									
Rs.40 to Rs.80									
>Rs. 80									

- आप कितना भुगतान करने को तैयार हैं (या आप क्या चाहते हैं कि आपके आर डब्ल्यू ए में आने वाले लोग कितना भुगतान करें)। जब आप किसी अन्य क्षेत्र में किसी दुकान/दफ्तर में जाएं तो वहां थोड़े समय की पार्किंग (जैसे एक घंटे या कम) के लिए आप कितना भुगतान करना चाहेंगे

- कमर्शियल एरिया में गैर-निवासियों के लिए शॉर्ट टर्म पार्किंग

प्रति घंटा शुल्क भुगतान	कार			दोपहिया			अन्य (कौन सा वाहन)		
	2018	2020	2022	2018	2020	2022	2018	2020	2022
< Rs. 30									
Rs. 30 to 60									
Rs.60 to Rs.100									
>Rs. 100									

- रिहाइशी क्षेत्र में गैर-निवासियों (आगंतुकों) के लिए शॉर्ट टर्म पार्किंग

प्रति घंटा शुल्क भुगतान	कार			दोपहिया			अन्य (कौन सा वाहन)		
	2018	2020	2022	2018	2020	2022	2018	2020	2022
< Rs. 15									
Rs. 15 to 40									
Rs.40 to Rs.80									
>Rs. 80									

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें: अमित अग्रवाल 9868095009

हस्ताक्षर

फोन:

दिनांक: